

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. मुरलीधर पुत्र बन्नाराम जाति माली निवासी कोला की नांगल तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 519/2025
जीसीएमएस नं0 2025/923

आदेश

दिनांक - 19/8/25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम कोला की नांगल पटवार हल्का घासीपुरा तहसील पाटन के खाता संख्या 4, 159, 247, 158, 248 में प्रार्थीगण का गलत दर्ज नाम "जगदीश पुत्र बनवारी", "मदनलाल पुत्र बनवारी", "मुरलीधर पुत्र बनवारी", नानची पत्नी बनवारी"के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "जगदीश पुत्र बन्नाराम", "मदनलाल पुत्र बन्नाराम", "मुरलीधर पुत्र बन्नाराम", "नानची पत्नी बन्नाराम" दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

